

भूमि

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक :- एफ.28()पंसावि/प्रशा-2/ग्राविअ/स्थाना.-पद./2020/14 जयपुर, दिनांक:- 03/01/2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद- चित्तोडगढ़, नागौर, भीलवाडा, दौसा एवं जोधपुर ।

विषय :- ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के स्थानान्तरण/पदस्थापन बाबत।

निर्देशानुसार निम्न ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवक) के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश उनकी संस्थापन सवधी सूचना से मिलान कर, नियमानुसार जारी करते हुए, विभाग को अवगत करावे :-

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/कुमारी	कहाँ से	कहाँ को
1	प्रेमसिंह	प.स. देचू, जोधपुर	विधानसभा क्षेत्र से बाहर जिले की अन्य पं0स0 में
2	त्रिलोक सिंह	प.स. बापिणी, जोधपुर से विधानसभा क्षेत्र के बाहर जिले की अन्य पं.स. में स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत प.स. बापिणी, जोधपुर
3	डिम्पल	पं.स. बालेसर, जोधपुर से प.स. देचू, जोधपुर स्थानान्तरणाधीन	पं.स. लूणी, जोधपुर
4	भवरसिंह	पं.स. ओसियां, जोधपुर	विधानसभा क्षेत्र से बाहर जिले की अन्य पं0स0 में
5	किशनाराम	पं.स. लोहावट, जोधपुर	प.स. तिवरी, जोधपुर
6	गोपालदास वैष्णव	पं.स. गंगरार, चित्तोडगढ़	प.स. चित्तोडगढ़, चित्तोडगढ़
7	शिवधरण मीणा	पं.स. परवतसर, नागौर से पंचायत समिति मकराना, नागौर स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत प.स. परवतसर, नागौर
8	बहादुर सिंह मीणा	प.स. आरसीन्द, भीलवाडा	पं.स. जहाजपुर, भीलवाडा
9	लामशकर नाकदा	पं.स. माण्डल, भीलवाडा	पं.स. कोटडी, भीलवाडा
10	मनोज कुमार वैरवा	ग्रा.प. चादसेन, प.स. लालसोट, दौसा से स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत प.स. लालसोट, दौसा

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

- 1- उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से है ।
- 2- यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- 3- यदि किसी कार्मिक की परिविक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- 4- यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे ।


(विजय पाल सिंह)

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)

भूमि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-मिजी सचिव, संयुक्त सचिव(एलटी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर ।
- 2-मिजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 3-मिजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
- 4-अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित ।
- 5-विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित ।
- 6-एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
- 7-सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) को पालनार्थ ।
- 8-आदेश पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)